न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–पीयुष समारिया, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –58/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर–2022/75

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मूलसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपूत निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर,राज0		1. तहसीलदार नागौर 2. मदनसिंह पुत्र बागसिंह 3. रघुवीरसिंह पुत्र बागसिंह जातियान राजपूत निवासीगण अलाय तहसील व जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भागीरथ चौधरी
2. स्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पुनिया, रेस्पोडेन्ट संख्या–2 व 3 की ओर से वकील श्री चैनाराम।

निर्णय **दिनांक :** 21-02-2023

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम अलाय तहसील नागौर का नामान्तरकरण संख्या 743 जो तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 5.2.96 को अस्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 18.02.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि क नामान्तरकरण जैर अपील से संबंधित उक्त निर्णय व डिकी की पालना में पटवार हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 743 प्रस्तावित कर स्वीकृति हेतु तहसीलदार नागौर के समक्ष पेश किया लेकिन भूलवश अपीलांट/वादीगण के पिता का नाम बागसिंह की जगह प्रतिवादी अमरसिंह का नाम दर्ज कर दिया, जिससे डिकी अनुसार अंकन सही नहीं होने से तहसीलदार नागौर ने उक्त नामान्तरकरण दिनांक 5.2.96 को अस्वीकृत कर दिया, जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गई है। अपीलांट को उक्त म्यूटैशन अस्वीकृति की जानकारी कभी नहीं रही व मौके पर लगातार अपीलांट व उसके भाईयो का कब्जा काश्त रहता चला आया व इसी विश्वास में रहे कि दावा डिकी हो जाने से उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुका होगा लेकिन हाल ही में उक्त भूमि का कुछ भाग राष्ट्रीय राजमार्ग में चले जाने से अपीलांट ने उक्त भूमि के मुआवजा हेतु पटवारी हल्का से बात की तो पटवारी ने बताया

कलक्टर नागौर

कि आपके नाम अभी तक खातेदारी दर्ज नहीं हो सकी है तब अपीलांट ने तुरन्त राजस्व रेकर्ड की नकले व उक्त निर्णय व डिकी की नकलो का आवेदन पेश किया जो प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई उसके पश्चात म्यूटैशन के बारे में जानकारी की व नकल का आवेदन पेश करने पर प्रमाणित प्रतियां दिनांक 17.2.2022 को अपीलांट को प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम इस नामान्तरकरण अस्वीकृति की जानकारी हुई। तत्पश्चात अपील की कानूनी राय मिलने पर अपील तुरन्त तैयार करवा कर बिना देरी के पेश की है, का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री चेनाराम ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से मयाद प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रकरण में वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपील पेश करने में विलम्ब के संबंध में जो कारण प्रकट किये है, उनके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर न्यायहित में पक्षकारान की सुनवाई की जाकर गुणावगुण निर्णय पारित किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने एक दावा धारा 88, 89 राज० टिनेन्सी एक्ट का न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर में अमरसिंह पुत्र अनाड़ सिंह राजपूत निवासी अलाय को प्रतिवादी दर्ज करते हुऐ पेश कर कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 व 3 के दीगर खेताय जो पहले अपीलांट के पिता की खातेदारी के थे जो बाद में अपीलांट, उसके भाईयो व अपीलांट के पिता के नाम दर्ज रहे व खसरा नं. 1286 सड़क में दर्ज हो गया मगर साबिका खसरा नं. 647 की 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि मौजा अलाय खसरा नं. 1297 में प्रतिवादी अमरसिंह के खेत की भूमि साबिका खसरा नं. 648 के साथ दर्ज हो गयी, लेकिन उक्त 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि खसरा नं. 1297 में गलत दर्ज की गयी थी जबकि कब्जा काश्त वादीगण का ही है इस गलत इन्द्राजी को सही कराने के वादीगण/अपीलांट अधिकारी है इसलिए 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीगण की खातेदारी की दर्ज की जावे व प्रतिवादी के खाते से उक्त भूमि कम करने का दावा पेश किया । उक्त दावे का प्रतिवादी अमरसिंह ने इकबाली जवाब पेश कर वाद का समर्थन किया। तत्पश्चात बाद साक्ष्य सबूत न्यायालय ने वादीगण का वाद संख्या 102/91 बअनवान मदनसिंह वगैरा बनाम अमरसिंह साबित मानते हुऐ वाद स्वीकार खसरा नं. 1286 सड़क के चिपता ही व खसरा नं. 1296 के चिपता खसरा नं. 1297 का रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा प्रतिवादी की खातेदारी में से कम किया जाकर वादीगण के नाम खसरा नं.1297 में से रकबा बीघा 5 बिस्वा दर्ज करने व उसके नये नम्बर दर्ज करने अथवा खसरा नं. 417 के

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

चिपता होने से बटा नम्बर देने हेतु डिकी दिनांक 29.10.91 को जारी कर उसकी पालना हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा गया। उक्त निर्णय व डिकी की पालना में पटवार हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 743 प्रस्तावित कर स्वीकृति हेतु तहसीलदार नागौर के समक्ष पेश किया लेकिन भूलवश अपीलांट/वादीगण के पिता का नाम बागसिंह की जगह प्रतिवादी अमरसिंह का नाम दर्ज कर दिया, जिससे डिकी अनुसार अंकन सही नहीं होने से तहसीलदार नागौर ने उक्त नामान्तरकरण दिनांक 5.2.96 को अस्वीकृत कर दिया, जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गई है।

नामान्तरकरण जैर अपील अस्वीकृत करने में विद्वान तहसीलदार ने विधिक त्रुटि की है उक्त नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर के निर्णय व डिकी के अनुसार दर्ज करना था मगर निर्णय व डिकी में दर्ज नाम पते वल्दियत की सही जांच व अवलोकन किये बिना त्रुटिपूर्वक अपीलांट के पिता का नाम बागसिंह के स्थान पर अमरसिंह पटवारी हल्का ने दर्ज कर देने मात्र को आधार मानकर म्यूटेशन अस्वीकृत करने में विधिक त्रुटि की है जिससे नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त/संशोधित किया जाकर अपीलांट्स के पिता का नाम बागसिंह दर्ज करते हुऐ उक्त 8 बीघा 5 बिस्वा अपीलांट के नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज करना आवश्यक था व है।

माननीय न्यायालय के निर्णय व डिकी के अनुसार पटवारी हल्का ने मौका निरीक्षण करके नामान्तरकरण की पुश्त पर नक्शा दर्ज कर उसमें उक्त 8 बीघा 5 बिस्वा के नये खसरा नं. 1297/1 अंकित भी किया है लेकिन मात्र अपीलांट के पिता का नाम बागसिंह के स्थान पर सेहवन से अमरसिंह अंकित हो जाने के कारण नामान्तरकरण अस्वीकृत हुआ है जो एक लिपिकिय भूल/लापरवाही /सद्भाविक त्रुटि की श्रेणी में आता है जिसे जानकारी होने पर कभी भी दुरूस्त कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा सकता है जिसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। यहां यह तथ्य भी दर्ज करना आवश्यक होगा कि उक्त निर्णय व डिकी के विरूद्ध आज तक कोई अपील आदि भी नहीं हुई है अंतिम निर्णय रहा है व निर्णय के शीर्षक में अपीलांट/वादीगण के पिता का नाम बागसिंह सही दर्ज हो रखा है मगर नामान्तरकरण प्रस्तावित के समय पटवारी द्वारा भूल/लापरवाही से अपीलांट्स के पिता का नाम निर्णय अनुसार बागसिंह दर्ज नहीं करके खतौनी में दर्ज अमरसिंह का नाम दर्ज कर दिया जिससे नामान्तरकरण अस्वीकृत हुआ है इसलिए उसे संशोधित किया जाकर खसरा नं. 1297/1 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा मौजा अलाय अपीलांट मूलसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 मदनसिंह, रघुवीरसिंह पुत्रगण बागसिंह राजपूत निवासी अलाय दर्ज किया जाना आवश्यक न्याय संगत है जिस हेतु अपील पेश है।

अपीलांट के भाई अपील के समय हाजिर नहीं होने से उनको परफोरमा रेस्पोडेन्ट दर्ज कर अपील पेश की जा रही है, का कथन करते हुव वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 743/दिनांक 5.2.96 जो तहसीलदार नागौर ने राजस्व अभियान में अस्वीकृत किया है उसे निरस्त/संशोधित किया जाकर

कलक्टर नागौर

संलग्न निर्णय व डिक्री के अनुसार अपीलांट मूलसिंह व उसके भाई मदनसिंह, रघुवीरसिंह पुत्रगण बागसिंह जाति राजपूत निवासी अलाय के नाम खसरा नं.1297/1 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा मौजा अलाय का नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु उचित आज्ञा/ आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे।

वकील श्री चेनाराम ने बहस में कथन किया कि अपलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने पर उन्हे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में तहसीलदार नागौर द्वारा नामान्तकरण जैर अपील सहायक कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.91 के अनुसार अंकन सही नहीं होने नामान्तकरण जैर अपील खारिज किया गया है, जो उचित है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में नामान्तकरण जैर अपील में न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) नागौर पत्र दिनांक 30.10.91, वाद संख्या–102/81 निर्णय 14.10.91 एवं तहसीलदार नागौर के पत्र कमांक–3217 दिनांक 13.11.91 के तहत 8बीघा 5 बिस्वा का नामान्तकरण मदनसिंह, मूलसिंह, रघुवीरसिंह पि0 अमरसिंह कौम राजपूत के पक्ष में पटवारी द्वारा भरा जाकर प्रस्तुत किया, जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक अलाय द्वारा इन्द्राज सही होने एवं नामान्तरकरण स्वीकृत योग्य होने की रिपोर्ट अंकित की, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा अंकन डिग्री अनुसार नहीं होना अंकित करते हुए नामान्तकरण जैर अपील को दिनांक 05.02.96 को अस्वीकृत कर दिया।

न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में नामान्तकरण जैर अपील एवं नामान्तकरण जैर अपील से संबंधित मूल रिकार्ड भिजवाने के तहसीलदार नागौर को निर्देश दिये गये परन्तु नामान्तकरण जैर अपील में पटवारी द्वारा अंकित एवं उपर्युक्तानुसार कोई भी दस्तावेज नहीं भिजवाया है, केवल मात्र नामान्तकरण जैर अपील ही इस न्यायालय को भिजवाया है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा नामान्तकरण जैर अपील पर अंकन डिग्री अनुसार नहीं होना अंकित करते हुए नामान्तकरण जैर अपील को दिनांक 05.02.96 को अस्वीकृत कर दिया, परन्तु अंकन किस प्रकार से सही नहीं है, ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है।

अपीलान्ट द्वारा सहायक कलक्टर (मु0) नागौर द्वारा राजस्व वाद संख्या–102/91 व उनवान मदनसिंह वगैरह बनाम अमरसिंह पारित निर्णय दिनांक 14.10.91 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। अपीलान्ट का कथन है कि नामान्तकरण जैर अपील पटवारी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 14.10.91 की पालना में भरा गया है एवं उक्त निर्णय के शीर्षक में अपीलान्ट का नाम वादी संख्या–2 के रूप में मूलसिंह पुत्र बागसिंह अंकित है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा भूल/लापरवाही से नामान्तकरण जैर अपील में अपीलान्ट मूलसिंह के पिता का नाम बागसिंह के स्थान पर अमरसिंह अंकित कर दिया, जिस पर तहसीलदार नागौर द्वारा उक्त नामान्तकरण जैर अपील को गलत रूप से अस्वीकृत कर दिया, जो जानकारी में आने पर तत्समय ही दुरूस्त किया जा सकता था का कथन

कलक्टर नागौर

करते हुए अपीलान्ट मूलसिंह व उसके भाई मदनसिंह, रघुवीरसिंह पुत्रगण बागसिंह के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्ट द्वारा किया गया उक्त कथन उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा अस्वीकृत नामान्तकरण जैर अपील दिनांक 05.02.96 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सीरे से पुनः यथाशीघ्र विधि सम्मत आदेश पारित करे। तहसीलदार नागौर को उनका मूल नामान्तकरण जैर अपील लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष सीमारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर